

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर  
में जनरल वेस्ट (कार्ड बोर्ड पेपर व प्लास्टिक) के निस्तारण के  
कार्य हेतु वार्षिक दर अनुबन्ध आमंत्रण

पुछताछ संख्या :- प्रशासन /रख-रखाव/सामान्य/01/2023-24

पुछताछ कोटेशन जारी करने की दिनांक :- 03/01/2025

जमा कराने की अंतिम तिथि :- 10/01/2025 दोपहर 3 बजे तक

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर

बासनी फेज द्वितीय जोधपुर - 342005, राजस्थान

टेलीफैक्स :0291-2740741, ईमेल:

[procurement.aiimsjodhpur@gmail.com](mailto:procurement.aiimsjodhpur@gmail.com)

[www.aiimsjodhpur.edu.in](http://www.aiimsjodhpur.edu.in)

**अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर में सामान्य वेस्ट कार्ड बोर्ड पेपर व प्लास्टिक हेतु  
निस्तारण हेतु वार्षिक दर अनुबन्ध**

निदेशक एम्स जोधपुर, की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। सामान्य वेस्ट (कार्ड बोर्ड पेपर व प्लास्टिक) के निस्तारण के कार्य के लिये नियम एवं शर्तें एम्स जोधपुर द्वारा निम्नलिखित रखी गई हैं।

सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूर्ण रूप भरे हुए कोटेशन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 10.01.2025 को उपराह 3.00 बजे या उससे पहले जमा हो जाने चाहिए। कोटेशन को उचित लिफाफे में सीलबंद कर उसे उपर निम्नानुसार लिखा जाए " सामान्य वेस्ट (कार्ड बोर्ड पेपर व प्लास्टिक) निस्तारण के कार्य के लिये कोटेशन"

पुछताछ संख्या : प्रशासन/सामान्य/रख-रखाव/01/2024/एम्स जेडीएच 10.01.2025 को अपराह 3.00 बजे

1. नियम व शर्तें

(क) निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाले कोटेशनों पर किसी भी तरह का विचार नहीं किया जायेगा चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी रही हो। डाक या किसी भी प्रकार का विलंब के मामले में संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा तथा किसी भी प्रकार के फ़ैक्स/ईमेल पर विचार नहीं किया जायेगा। कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।

(ख) कोटेशन फर्म के लेटर हेड पर संलग्न निर्धारित प्रारूप में स्वामित्व/निदेशक हस्ताक्षरित होने चाहिए। सहभागी मामलों में निदेशक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कोटेशन पर विधिवत हस्ताक्षर करने का अधिकरण पत्र होना चाहिए। पूर्णरूप से भरे हुए कोटेशन निर्धारित कोटेशन बॉक्स में जो कि एम्स के प्रशासनिक कार्यालय में स्थित हैं वहाँ छोड़ा जाना अनिवार्य है।

(ग) सामान्य वेस्ट (कार्ड बोर्ड पेपर व प्लास्टिक) के कार्य की दरों को भारतीय रूपयों में कर सहित उद्धृत किया जाए तथा किसी भी प्रकार का निर्दिष्ट करों के अतिरिक्त कोई कर हो तो अलग से लिखा जाए।

(घ) सामान्य वेस्ट (कार्ड बोर्ड पेपर व प्लास्टिक) के कार्य की दरों को माल भाड़ा शुल्क, बीमा, स्थापना (संस्थान से ले जाना) आदि सहित उद्धृत किया जाए।

(ङ) सामान्य वेस्ट (कार्ड बोर्ड पेपर व प्लास्टिक) के कार्य की दरों में किसी प्रकार की ओवरराइटिंग या कौट-छौट की अनुमति नहीं होगी। यदि पाया जाता है तो कोटेशन को रद्द कर दिया जायेगा। किसी भी प्रकार का विचार नहीं होगा।

(च) सामान्य वेस्ट (कार्ड बोर्ड पेपर व प्लास्टिक) के कार्य की दरें कोटेशन खोलने की तारीख से 60 दिनों के लिए वैध होना चाहिए। इस मुद्दे पर किसी भी निविदा के उदरण और चुप्पी को इसके साथ सहमति के रूप में माना जाएगा।

(छ) सामान्य वेस्ट (कार्ड बोर्ड पेपर व प्लास्टिक) के कार्य में एच-1 बनना किसी भी कार्यदेश का मापदण्ड नहीं होगा आपूर्तिकर्ता/फर्म/एजेन्सी/को आटीजीएस/एनईएफटी का विवरण बोलीदाता के लेटर हेड पर उदरण के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक/अनिवार्य है।

(झ) फर्म/एजेन्सी को निम्नलिखित शर्तें पूरा करने का स्व-सत्यापित प्रति उदरण के साथ संलग्न प्रस्तुत करना है –

1. फर्म/एजेन्सी राजस्थान सरकार/भारत सरकार के साथ पंजीकृत होना।
2. फर्म/एजेन्सी के पास वैघ जीएसटी/अन्य कर और पैन कार्ड का होना।
3. फर्म/एजेन्सी को किसी भी सरकार द्वारा ब्लैक लिस्टेड घोषित नहीं किया जाए।

अस्पष्ट और अनिश्चित अभिव्यक्तियों द्वारा योग्य उदरण जैसे “ पूर्व के अधीन” पुष्टिकरण तत्काल स्वीकृती के अधीन आदि को अस्पष्ट प्रस्तावों के रूप में माना जायेगा। तथा कोटेशनों को खारिज कर दिया जायेगा। किसी भी सशर्त को तुरन्त प्रभाव से खारिज कर दिया जायेगा।

(ट) सामान्य वेस्ट निस्तारण के कार्य का निस्पादन ओदश के 7 दिन के अन्दर निष्पादन कार्य शुरू करना अनिवार्य होगा। जो कि दर अनुबन्ध की तारीख से एक वर्ष तक लागू रहेगा। कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता आने पर समय से पूर्व निरस्त किया जा सकता है। ?

(ठ) परिसमापन क्षति :- यदि कार्य निर्धारित समय में निस्तारण करने में विफल रहता है तो प्रतिदिन 0.5 प्रतिशत की दर से या 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया जायेगा। या बिना किसी नोटिस के अनुबन्ध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार संस्थान के पास रहेगा। जिसमें बोलीदाता दर अनुबन्ध में किसी प्रकार शर्त के लिये बाध्य नहीं कर सकता।

(ड) भुगतान शर्तें : बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत करने वाली फर्म को राशि कार्यादेश मिलने के 07 दिवस में डी.डी/चैक/आनलाईन/से जमा कराने के पश्चात ही कार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। भुगतान जमा नहीं कराने पर बिना नोटिस कोटेशन प्रक्रिया को निरस्त माना जायेगा।

(ढ) विवाद :- फर्म/ एजेन्सी के ठेकेदारों और एम्स जोधपुर या एम्स का कोई विभाग क बीच किसी भी प्रकार का विवाद या शर्तों की व्याख्या के संबंध में असहमति उत्पन्न होने की स्थिति में जॉच निदेशत एम्स जोधपुर को संदर्भित की जाएगी। एम्स जोधपुर का निर्णय फर्म/एजेन्सी के ठेकेदारों के लिए बाध्यकारी होगा।

(ण) एम्स जोधपुर किसी भी उदरण या भाग या संपूर्ण आमंत्रण बिना कोई कारण बताए कोटेशन प्रक्रिया अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(त) सामान्य वेस्ट (कार्ड बोर्ड पेपर व प्लास्टिक) के कार्य के लिये जहाँ है जैसा है के आधार पर किया जायेगा। जो कि प्रतिदिन निर्धारित समय पर किया जायेगा। जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता होने पर कार्यादेश निरस्त करने का अधिकार संस्थान के पास होगा। और यदि सामान्य वेस्ट को संस्थान से बाहर ले जाने वाले का व्यय का भुगतान संस्थान द्वारा नहीं किया जायेगा।

(थ) संस्थान के बायोमेडीकल वेस्ट/अन्य किसी प्रकार के वेस्ट को/बिन आदि कोई सामग्री संस्थान द्वारा अलग से निविदा आमंत्रित करने निस्पादन किया जायेगा। सम्बन्धित दर अनुबन्ध से सम्बन्ध नहीं होगा।

(द) बोली दाता को धरोहर राशि रु 24000 मॉगपत्र/डी.डी./चैक/आनलाईन द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर के पक्ष में देय तथा अंतिम दिनांक से 60 दिवस की अविध तक मान्य कर प्रस्तुत करना होगा।

(ध) बोली दाता द्वारा निविदा पूर्ण नहीं करने अथवा किसी विवाद की दिशा में धरोहर राशि जब्त की जा सकेगी।

(न) उक्त दर अनुबन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में निरस्त करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा। जिसमें बिना किसी सूचना के उक्त दर अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता है।

(प) बोली दाता द्वारा निविदा में भाग लेने के लिये किसी भी सरकारी संस्थान में कार्य का 1 वर्ष का कार्य अनुभव अनिवार्य है। बोली निविदा में भाग लेने वाली फर्म द्वारा दस्तावेजों के साथ संस्थान द्वारा जारी किया अनुभव प्रमाण पत्र या कार्यादेश की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। बिना अनुभव के बोली दाता को निरस्त माना जायेगा।

(फ) यह है कि निविदा एक वर्ष के लिये है एवम संस्थान द्वारा अतिरिक्त वर्ष के लिये कार्यादेश कार्यकारी निदेशक की अनुमति के बाद बोली की कुल राशि में 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि जमा कराने पर दिया जा सकता है। इसका निर्णय संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा।

नियम और शर्तें :-

1. बोलीदाता को अनुबन्ध 1 में दिये गये विनिदेशों के अनुसार उत्पाद का उदरण देना होगा।
2. सबसे अधिक दर प्रस्तुत करने वाली फर्म का निर्णय क्रय समिति द्वारा लिया जायेगा जो कि अंतिम निर्णय होगा।
3. सामान्य वेस्ट (कार्ड बोर्ड पेपर व प्लास्टिक) निस्तारण के कार्य सम्बन्धित किसी प्रकार की पूछताछ कार्यालय कार्यदिवस में मेडीकल कॉलेज तृतीय तल भण्डार में की जा सकती है।

संलग्न :- अनुलग्न 1. विनिर्देश अनुबन्ध

2. मुल्य बोली का प्रारूप

फर्म के लेटर हेड पर  
अनुलग्न: 2  
मूल्य बोली प्रपत्र

सेवामें,

श्री उप-निदेशक (प्रशासन)  
एम्स जोधपुर।

मान्यवर जी,

1. मैंने/हमने ..... सामान्य वेस्ट (कार्ड बोर्ड पेपर व प्लास्टिक) बोर्ड निस्तारण के लिए दर अनुबन्ध के आमंत्रण के लिए उदरण प्रस्तुत किया पुछताछ संख्या सामान्य वेस्ट निस्तारण के दर अनुबन्ध के लिये पुछताछ संख्या प्रशासन/सामान्य/रख-रखाव /01/2024 एम्स जे.डी.एच जमा करने की अन्तिम तिथि 10.01.2024 अपराह 03.00 बजे प्रस्तुत किया।
2. मैंने/हमने सामान्य वेस्ट निस्तारण कार्य के लिए दर अनुबन्ध का आमंत्रण के नियमों और शर्तों की पूरी जाँच करके समझा/स्वीकार कर लिया है तथा दस्तावेजों के अभाव में मेरा उदरण अस्वीकार कर दिया जाए।
3. मैं/हमारे द्वारा निम्नलिखित दरों पर आपूर्ति करने की पेशकश करते हैं।

क्र.स	सामान का विवरण	मापन की इकाई	अनुमानित मात्रा (अनुमानित)	कुल आरक्षित दर	बोली दाता द्वारा प्रस्तुत कर
1	Packing cartoon, west (cardboard, paper) and Plastic Tin Box	प्रति किलो	2000 प्रति माह	2,40,000	

**\* GST नियमानुसार लागू**

नोट : बोलीदाता को फर्म के पत्र पर उपरोक्त प्रारूप में ही अपना कोटेशन उद्धृत करना है  
अन्यथा कोटेशन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर  
सील (स्टाम्प).....

क्र.स	सामान का विवरण	मापन की इकाई	कुल आरक्षित दर	विशेष विवरण
1	Packing cartoon, west (cardboard, paper) and Plastic Tin Box	2000 Kg per month	2, 40, 000	

1. उक्त सामान्य वेस्ट (कार्ड बोर्ड पेपर व प्लास्टिक) सामग्री पूर्वानुमानों पर आधारित है तथा माप कम ज्यादा भी हो सकता है। जिसमें संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। अतः दर प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी जिसमें संस्थान द्वारा तय मापन को भौतिक सत्यापन जहाँ है जैसा है के आधार पर अपनी दर प्रस्तुत करे। मापन की इकाई पूर्ण रूप से अनुमानित है।
2. यह है कि संस्थान द्वारा आरक्षित दर से अधिक बोलीदाता द्वारा राशि जमा कराये जाने के बाद कार्य निस्तारण का कार्यादेश एक वर्ष के लिये दिया जायेगा। जो कि कार्यादेश की दिनांक से लागू होगा।